रजिस्टर्ड

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राज0 जयपुर

क्रमांकः– एफ.3 (ख) (1) ( )/अलेसे–।।/ 18556–18575 दिनांक :– 23 जनवरी 2014

आदेश संख्या 359/ 2013–14

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित लेखाकार (संयुक्त प्रतियोगी) सीधी भर्ती परीक्षा, 2011 में सफल घोषित किये जाने एवं आयोग की अनुशंषानुसार चयनित सूची में से निम्नांकित अभ्यर्थी के पुलिस वेरीफिकेशन कार्यवाही पूर्ण होने एवं आवश्यक प्रमाण–पत्र विभाग में उपलब्ध कराने के उपरान्त एतद् द्वारा राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 6 के अनुसार परिवीक्षाधीन लेखाकार के रूप में उपस्थिति देने की तिथि से दो वर्ष की कालावधि के लिए रूपये 13050/– (तेरह हजार पचास रूपये मात्र) प्रति माह के स्थाई पारिश्रमिक पर अथवा जो अभ्यर्थी पूर्व से नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है, उनके संदर्भ में वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.1 (2) वित्त/नियम/06 दिनांक 13.03.2006 के अनुसार देय वेतन भत्तों पर उपस्थिति देने की संगत तिथि से एतद् द्वारा नियुक्त किया जाता है तथा आदेश दिये जाते है कि वे उनके नाम के सामने अंकित विभाग/कार्यालय में दिनांक 31 जनवरी 2014 तक कार्यालय समय में उपस्थित होकर कार्यारम्भ रिपोर्ट सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से इस विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करेगें अन्यथा उक्त तिथि के बाद उनके नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त समझे जावेगें।

क्र. स.	मेरिट क्रमांक	रोल नम्बर	नाम/पिता का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	जन्म तिथि	गृह जिला	श्रेणी	विभाग/ कार्यालय का नाम	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	206	702429	श्री सत्येन्द्र शुक्ला पुत्र श्री जे.पी. शुक्ला, उ0प्र0 निर्यात निगम मौ0 अली, सहारनपुर (उत्तर प्रदेश)	18.12.1981	सहारनपुर (उत्तर प्रदेश)	GE	कोषाधिकारी, कोष कार्यालय डूंगरपुर	रिक्त पद पर

उपरोक्त अभ्यार्थियों की लेखाकार पद पर नियुक्ति निम्नांकित शर्तो पर की जा रही है:–

1. उपरोक्त अभ्यर्थी की जन्म तिथि इनके द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र में अंकित एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा स्वीकृत जन्म तिथि के अनुसार तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण–पत्र के के आधार पर अंकित की गई है।
2. यह नियुक्ति संबंधित सेवा नियमों और सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों में अधिकथित निबन्धनों एवं शर्तो के अध्यधीन होगी।
3. यह नियुक्ति उप महानिरीक्षक, सी.आई.डी (सुरक्षा) जयपुर से अभ्यर्थी के चरित्र के संबंध में संतोषजनक प्रमाण पत्र की शर्त पर है।
4. अभ्यर्थी को राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियमों के अनुसार भविष्य में अनिवार्य प्रशिक्षण पर उपस्थिति देते समय दस रूपये के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक अनुबन्ध पत्र/बॉण्ड जो नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित हो देना होगा।
5. अभ्यर्थी को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 10 के अनुसार निर्धारित स्वास्थ्य परीक्षा प्रमाण पत्र जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा उससे उच्च पद के चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाने चाहिये किन्तु महिलाओं के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी, किसी महिला चिकित्सक का स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र उपस्थिति के समय प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उपस्थिति स्वीकार्य नहीं होगी।
6. अभ्यर्थी को परिवीक्षाकाल में विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने की स्थिति में अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक समझे जाने पर परिवीक्षा की अवधि स्वविवेकानुसार बढाई जा सकती है। निर्धारित अवधि में विभागीय परीक्षा में दो बार से अधिक अनुतीर्ण होने पर इन्हें राज्य सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।
7. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षाणार्थी की परिवीक्षा की कालावधि के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (Fixed remuneration) के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के भत्ते (विशेष भत्ता, मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, बोनस आदि) देय नहीं होगें।
8. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षार्थी को कार्यग्रहण काल एवं यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
9. यदि सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परिवीक्षा की समयावधि में सन्तोषप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दक्ष लेखाकार होने की क्षमता नहीं है तो सरकार इन्हें सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी।
10. उक्त नियुक्तियॉं माननीय न्यायालयों में विचाराधीन विभिन्न प्रकरणों के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन होगी।
11. अभ्यर्थी अपने पदस्थापन स्थान पर कार्यारम्भ करने से पूर्व राज्य सेवा में रहते हुए धूमपान एवं गुटखा सेवन न करने सम्बन्धी वचन पत्र आवश्यक रूप से अपने कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत करें।

यदि अभ्यर्थी प्रशिक्षण अवधि में या प्रशिक्षण समाप्ति के दो वर्ष की अवधि में राजस्थान राज्य अधीनस्थ लेखा सेवा से त्याग पत्र देना चाहेगा अथवा अन्यत्र पदग्रहण करना चाहेगा तो ऐसा करने से पूर्व प्रशिक्षण अवधि में उनके द्वारा प्राप्त वेतन एवं भत्ते एवं प्रशिक्षण पर हुये व्यय की दोगुना राशि का भुगतान उसे एक मुश्त राजकोष में जमा कराना होगा।

इस विभाग से पत्र व्यवहार करते समय अभ्यर्थी अपने मेरिट क्रमांक एवं बैच वर्ष का उल्लेख अवश्य करें अन्यथा उनके पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

(वीरबाला जोशी)
निदेशक,
कोष एवं लेखा विभाग

क्रमांकः– एफ.3 (ख) (1) ( )/अलेसे–।।/ 18556–18575 दिनांक :– 23 जनवरी 2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. शासन सचिव, वित्त(राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
1. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय डूंगरपुर को प्रेषित कर लेख है कि सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा उनके कार्यालय में उपस्थिति देते समय राजस्थान सेवा नियमों के नियम 10 के अनुसार निर्धारित स्वास्थ्य परीक्षा प्रमाण पत्र जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा उससे उच्च पद के चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही उपस्थिति स्वीकार की जावे तथा कार्यग्रहण रिपोर्ट इस विभाग को भिजवाने की व्यवस्था करावें। साथ ही अभ्यर्थी को कार्यारम्भ कराने से पूर्व राजकीय सेवा में रहते हुए धूमपान एवं गुटखा सेवन न करने सम्बन्धी वचन पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त करें।
3. श्री सत्येन्द्र शुक्ला पुत्र श्री जे.पी. शुक्ला, उ0प्र0 निर्यात निगम मौ0 अली, सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) पिनकोड–247001 को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे निर्धारित तिथि को उनके नाम के सामने अंकित कालम सख्या 8 में दिनांक 31 जनवरी 2014 तक कार्यालय समय में आवश्यक रूप से उपस्थित होकर कार्यारम्भ रिपोर्ट सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें ।
4. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने तथा पीआईएस रिकार्ड संधारण हेतु।
5. निजी सहायक, निदेशक महोदया।
6. गोपनीय शाखा।
7. रक्षित/निजी पत्रावली।

(के. एम. मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–I)